# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह (अध्यक्ष)

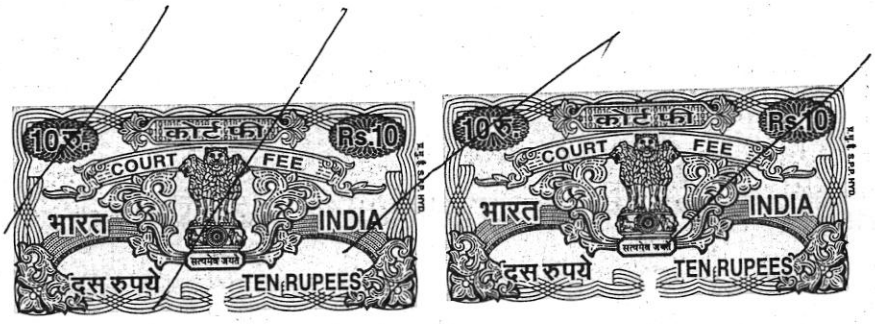




Rev-3688-PBR/14

शंकर सिंह आत्मज शिवप्रसाद

निवासी हाल मुकाम खसरा क. 3/2 व 3/3

ग्राम केसला, तह. इटारसी

जिला होशंगाबाद ———————————————— आवेदिका/याचिकाकर्ता

विरूद्व

श्री जे.पी. शुक्ला अभिभाषक द्वारा आज दिनांक 29.10.14 को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत। 29.10.14

गोयल एग्रोगीन्स प्रायवेट लिमिटेड

द्वारा पंकज त्यागी आ.विजयपाल सिंह

वाईस प्रेसीडेन्ट, गोयल एग्रोग्रीन्स प्रायवेट लिमिटेड

निवासी गोयल गोयल एग्रोग्रीन्स प्रायवेट लिमिटेड

बी–268, शाहपुरा, भोपाल ———————————— अनावेदक/उत्तरवादी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 3688–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30–6–2015 | आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24–9–2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :–<br>1. किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या<br>2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या<br>3. कोई अन्य पर्याप्त कारण<br>2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि नहीं दर्शाई गई है । ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । केवल | |

यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार ने आवेदक को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया है । इस संबंध में यह मान भी लिया जाये कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, तब भी इस न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से उठाये गये सभी बिन्दुओं का निराकरण करते हुये आदेश पारित किया गया है । अतः उन्ही बिन्दुओं पर तहसीलदार द्वारा सुनवाई किया जाना विधिसंगत नहीं है । इस प्रकार यह पुर्नविलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष